संख्या– /X–2–2014–12(99)/2013

प्रेषक,

श्याम सिंह
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2

देहरादून दिनांक 10 जनवरी, 2014

विषयः– वन विभाग के अनुदान सं0–27 की आयोजनागत पक्ष की राज्य सेक्टर योजना "बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्द्धन" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपलब्ध आय–व्ययक के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के शासन को सम्बोधित प0सं0–308/3–5(बुग्याल) दि0 23 अगस्त, 2013, प0सं0–678/3–5(रा0सै0–व0मो0मार्ग) दि0 09 अक्टूबर, 2013, प0सं0–812/2–34(टी0ए0सी0) दि0 13 नवम्बर, 2013 एवं प0सं0-1766/2–34(ज0प्र0नि0) दि0 14 मार्च, 2013 द्वारा प्राप्त विभागीय प्रस्तावों एवं इनमें उल्लिखित विभिन्न महानुभावों/मा0 विधायक गणों से प्राप्त प्रस्तावों का शासन स्तर पर सम्यक परीक्षणोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की आयोजनागत पक्ष की राज्य सेक्टर योजना **"बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्द्धन"** में चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राविधानित आय–व्ययक के सापेक्ष **₹ 50,00,000/– (₹ पचास लाख मात्र)** की धनराशि संलग्न विवरणानुसार कार्यों हेतु व्यय किये जाने के लिये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :–

1. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–284/XXVII(1)/2013 दि0 30 मार्च, 2013 एवं शासनादेश सं0–413/XXVII(1)/2013 दि0 10 जून, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों एवं बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रति निधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 तथा अन्य सुसंगत नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यदि स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगंणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी तथा सम्बन्धित प्रभाग/कार्यालय का यह उत्तरदायित्व होगा कि व कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व ₹ 5 लाख से अधिक लागत के कार्यों के आंगणनों का टी0ए0सी0 से परीक्षण करायेंगे तथा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत समस्त कार्यों की सक्षम स्तर से प्राविधिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करेंगे।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
5. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
6. आगंणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047/XIV-219(2006) दि0 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः....2.....

8. संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बन्धित कार्य विभागीय अन्य योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है, यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत की जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय शासन को सूचित किया जाय।
9. स्वीकृत कार्यों हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यदि धनराशि की बचत होती है तो बचत की धनराशि से यथासमय शासन को सूचित किया जाय। संलग्न विवरण में उल्लिखित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शेड्यूल आफ रेट्स के आधार पर विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम स्तर से अनुमोदनापरान्त इन कार्यों हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
10. आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
11. आहरण–वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0–प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
12. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–ब–06/X–2–2010–12(11)/2009 दि0–31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
13. वन पंचायतों में स्थित बुग्याली क्षेत्रों में विभिन्न कार्य वन पंचायतों के माध्यम से ही कराया जाय। ऐसे कार्यों हेतु धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा वन पंचायत के संयुक्त खातों में डाला जाएगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
15. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1401270074 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।
16. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथावश्यकतानुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–1638/XXX–1–12 (25)2011, दि0 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अद्यावधिक किया जायेगा।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान सं0–27 के लेखा शीर्षक 2406–वानिकी और वन्य जीवन 01 वानिकी 800–अन्य व्यय 39–00– बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्द्धन के मानक मद 25–लघु निर्माण कार्य 29–अनुरक्षण एवं 42–अन्य के नामे डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र0 सं0	लेखा शीर्षक / योजना नाम	परिव्यय	आय– व्ययक प्रावधान	वर्तमान वित्तीय स्वीकृति
	1	2	3	6
1–	2406–वानिकी और वन्य जीवन 01 वानिकी 800–अन्य व्यय 39–00–बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्द्धन 25–लघु निर्माण कार्य 29–अनुरक्षण 42–अन्य	5000	 1000 3000 1000	 1000 3000 1000
	योग	5000	5000	5000

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ पचास लाख मात्र)

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(श्याम सिंह)
अनु सचिव

क्रमशः.....3

संख्या– 136 (1)/x–2–2014, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून
4. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड शिविर कार्यालय– देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून
6. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
9. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
10. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
12. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
14. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
15. गार्ड फाइल।

(श्याम सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश सं0– 136/X–2–2014–12(99)2013 दि0 10 जनवरी, 2014 का संलग्नक

आयोजनागत पक्ष की योजना "बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्द्धन" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपलब्ध बजट के सापेक्ष

मानक मद 25 – लघु निर्माण, मानक 29–अनुरक्षण एवं मानक मद 42– अन्य व्यय की वित्तीय स्वीकृति

क्र0 सं0	मार्गों एवं पुलों के नाम	धनराशि जो निर्गत की जानी है (लाख में)	मानक मद जिसमें कार्य प्रस्तावित है
1.	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–424/2012 09 मई, 2012 के क्रम में डोडीताल, जौराई, बुग्याल, कुश कल्याण, हरूनता बुग्याल, गिडारा, खेड़ाताल, वरूणाघाटी में पंचकोसी मार्ग, वरूणेश्वर महादेव, सप्तताल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करवाने हेतु योजना तैयार करना, भूमि व जल संरक्षण कार्य, इको पर्यटन हेतु मूल भूत सुविधाओं का विकास, मार्ग सुढ़ढ़ीकरण, आदि कार्य।	10.00 लाख	मानक मद – 25 लघु निर्माण
	योग –	**10.00 लाख**	
2.	उत्तरकाशी गोविंद पशु विहार में सुपिन रेंज के ओवरा से मुशेक्चा पैदल मार्ग का जीर्णोद्वार एवं निर्माण कार्य 6 कि0मी0।	2.50 लाख	मानक मद 29 अनुरक्षण कार्य
3.	उत्तरकाशी गोविंद पशु विहार में सांकरी रेंज के तालुका से मानीर बुग्याल पैदल मार्ग का जीर्णोद्वार 12 कि0मी0।	3.50 लाख	
4.	टिहरी में घुत्तू गंगी से खतलिंग पैदल मार्ग मरम्मत।	3.50 लाख	
5.	टिहरी में बूढ़ाकेदार से मासरताल तक मार्ग मरम्मत।	4.50 लाख	
6.	पिथौरागढ़ अस्कोट राजि में सिरतोला भुजानी से च्यार्ती बुग्याल तक मार्ग मरम्मत–सिरतोला वन पंचायत के माध्यम से।	4.00 लाख	
7.	पिथौरागढ़ धारचूला राजि में जुम्मा से छिपलाकोट तक मार्ग मरम्मत–जुम्मा वन पंचायत के माध्यम से।	4.00 लाख	
8.	बागेश्वर में पिण्डारी व सुंदरढूँगा बुग्याल क्षेत्रों में विभिन्न अनुरक्षण कार्य।	4.60 लाख	
9.	अपर यमुना वन प्रभाग के माण्डी, बंगान, कनासर, चन्द्ररूण्डी बुग्यालों में विभिन्न अनुरक्षण कार्य।	3.40 लाख	
	योग –	**30.00 लाख**	
	बुग्याल क्षेत्रों में वन्यजीव अपराध रोकथाम हेतु विशेष शीतकालीन लंबी दूरी गश्त।	5.00 लाख	मानक मद – 42 अन्य व्यय
8.	उत्तराखण्ड के बुग्यालों का उपग्रह चित्र के आधार पर डिजीटाइजेशन कर मानचित्रीकरण करना।	5.00 लाख	
	योग	**10.00 लाख**	
	महायोग	**50.00 लाख**	

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ पचास लाख मात्र)

(श्याम सिंह)
अनु सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - 136 X-2-2014-12(99)/2013

अलोटमैंट आई डी - S1401270074

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक -09-Jan-2014

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक

2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन
800 - अन्य व्यय
00 - बुग्यालों की सुरक्षा

01 - वानिकी
39 - बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्द्रन

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
25 - लघ निर्माण कार्य	0	1000000	1000000
29 - अनुरक्षण	0	3000000	3000000
42 - अन्य व्यय	0	1000000	1000000
	0	**5000000**	**5000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 5000000